32

विभिन्न अग्रिम

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	वाहन अग्रिम–मोपेड / ऑटो साइकिल अग्रिम, मोटर साइकिल / स्कूटर अग्रिम, मोटर कार अग्रिम की अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि	सं0 538 / वि0अनु0–1 / 2004, देहरादून, दिनांक–16 जुलाई, 2004	363–364
2	राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय के लिये अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि	सं0 538 'ए' / वि0अनु0–1 / 2004, देहरादून, दिनांक–16 जुलाई, 2004	365–366
3	भवन निर्माण / क्रय / मरम्मत / विस्तार अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम एवं कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की मूल एवं ब्याज की किश्तों की नियमित कटौती करने के संबंध में	सं0 589 / वि0अनु0–1 / 2004, देहरादून, दिनांक–05 अगस्त, 2004	367–368
4	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाहन अग्रिम ऋणों पर अंतिम रूप से निर्धारित ब्याज दरों के संबंध में	सं0 968 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक–03 नवम्बर, 2004	369–370
5	कर्मचारी से मूलधन अथवा ब्याज के रूप में अधिक वसूल की गई धनराशि की वापसी प्रक्रिया	सं0 1126 / XXVII(1) / 2005, दिनांक–31 अगस्त, 2005	371–372

संख्या 538/वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 16 जुलाई, 2004

विषय– वाहन अग्रिम–मोपेड/ऑटो साइकिल अग्रिम, मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम, मोटर कार अग्रिम की अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी–3–4621/दस–89–125/75–मो0वा0, दिनांक 29.7.1989, शासनादेश संख्या बी–3–4620/दस–89–125/75–मो0वा0, दिनांक 29.7.1989 एवं शासनादेश संख्या बी–3–2335/दस–90–125–75–मो0वा0, दिनांक 29.3.1990 के अनुक्रम में उक्त वाहनों के मूल्य में वृद्धि को देखते हुये राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिये वाहन अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. (1) मोपेड/ऑटो साइकिल क्रय अग्रिम–

मोपेड/ऑटो साइकिल हेतु अग्रिम की अधिकतम सीमा छः माह का मूल वेतन या रुपये 16,000/–, जो भी कम हो, होगी।

(2) मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय अग्रिम–

(क) प्रथम बार लिये जाने पर मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम की अधिकतम सीमा छः माह का मूल वेतन या रुपये 30,000/–, जो भी कम हो, होगी।

(ख) दूसरी बार लिये जाने पर मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा 5 माह का मूल वेतन या रुपये 24,000/–, जो भी कम हो, होगी।

(3) मोटर कार क्रय अग्रिम–

(क) प्रथम बार मोटर कार क्रय अग्रिम लिये जाने पर अधिकतम सीमा 11 महीने का मूल वेतन या रुपये 1,80,000/–, जो भी कम हो, होगी।

(ख) दूसरी बार मोटर कार क्रय अग्रिम लिये जाने पर अधिकतम सीमा 11 महीने का मूल वेतन या रुपये 1,60,000/–, जो भी कम हो, होगी।

2. उक्त अग्रिमों पर ब्याज दरें निम्नवत् होंगी–

(क) मोपेड/ऑटो साइकिल/मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय अग्रिम पर ब्याज की दरें 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष होंगी।

(ख) मोटर कार अग्रिम पर ब्याज की दर 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

3. उक्त अग्रिम की अनुगन्यता 1.1.1996 से लागू वेतनमान के अनुसार होगी।

4. मोटर कार क्रय अग्रिम उन्हीं राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिनका मासिक मूल वेतन रुपये 10,500 या इससे अधिक होगा।

5. राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों पर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जबकि पिछले वाहन अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।

6. मोपेड/ऑटो साइकिल/मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 70 मासिक किश्तों में की जायेगी।

7. मोटर कार क्रय अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 200 मासिक किश्तों में की जायेगी।

8. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गई किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेंगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गई किश्तों की धनराशि एक मुश्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेंगे, अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

9. उक्त के अतिरिक्त पूर्व के शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

10. ब्याज में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

11. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

12. वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 में तदानुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

संख्या 538(1)/वि0अनु0–1/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. एन0आई0सी0, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह,
अपर सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 वित्त/416–19–11–2004–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या 538ए/वि0अनु0-1/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्क्ष,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांकः 16 जुलाई, 2004

विषयः- राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय के लिये अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-3-6234/दस-89-4(1)/89 कम्प्यूटर, दिनांक 7-12-89 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रथम बार कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा रूपये 80,000/- एवं दूसरी बार लिये जाने पर अधिकतम सीमा रूपये 75,000/- किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम उन्हें ही अनुमन्य होगा जिन्हें मोटर कार अग्रिम अनुमन्य है। ब्याज की दरें मोटर कार अग्रिम की भांति होगी।
2. राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज सहित वसूली उनके वेतन से अधिकतम 150 मासिक किश्तों में की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को पूर्व में मोटर कार अग्रिम स्वीकृत किया गया है उन्हें व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब मोटर कार अग्रिम की तिथि से कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारियों को मोटर कार अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब व्यक्तिगत कम्प्यूटर लेने की तिथि में कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।
4. स्वीकृत किए जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा समय-समय पर मोटर कार अग्रिम हेतु निर्धारित की जाती है।
5. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गयी किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गयी किश्तों की धनराशि एक मुश्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेंगे, अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।
6. व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिये कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. उक्त के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
8. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
9. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में तद्नुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या 589 / वि0अनु0–1 / 2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 05 अगस्त, 2004

विषय– भवन निर्माण / क्रय / मरम्मत / विस्तार अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम एवं कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की मूल एवं ब्याज की किश्तों की नियमित कटौती करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अग्रिमों के शासनादेश संख्या 537 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004, शासनादेश संख्या 538 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004 एवं शासनादेश संख्या 538ए / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, ऋण अग्रिमों की कटौती / चुकौती की निम्न शर्तें निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत अग्रिम जिस माह में आहरित किया जाय, ठीक अगले माह से निर्धारित धनराशि की किश्त की नियमित कटौती की जाय।

(2) उपरोक्त अग्रिमों के मूल एवं ब्याज की नियमित किश्तों की कटौती किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी अथवा संस्था जो सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन एवं कटौतियों के लिए उत्तरदायी हो, का होगा।

(3) मूल एवं ब्याज की किश्तों की नियमित कटौती / अदायगी न किये जाने पर देय किश्त / किश्तों की धनराशि में जितनी अवधि का विलम्ब हो अथवा उक्त धनराशि का जब तक भुगतान न कर दिया जाय, पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्डक ब्याज की कटौती अगली किश्त के साथ कर ली जायेगी।

(4) इस सीमा तक शासनादेश संख्या 537 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर 4, शासनादेश संख्या 538 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर 8 एवं शासनादेश संख्या 538ए / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर 5 संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

संख्या 589(1)/वि0अनु0–1/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. एन0आई0सी0, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह,
अपर सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 वित्त/415–19–11–2004–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या–968/वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

टी0एन0सिंह,
अपर सचिव,वित्त
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

वनसंरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तरांचल,
पौड़ी।

वित्त अनु0–1

देहरादून,दिनांक 3 नवम्बर,2004

विषयः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाहन अग्रिम ऋणों पर की अंतिम रूप से निर्धारित ब्याज दरों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–क–318/1–9–2,दिनांक 20.08.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश जिस समय जारी किया जाता है,उसी समय तथा उन्ही आदेशों में निहित शर्तो के अधीन ब्याज आगणित किया जाता है,इसमें कर्मचारी की वरिष्ठता या अन्य आधार नहीं होता,अतः उस समय स्वीकृत अग्रिम के आदेश में लागू ब्याज दर से ही आगणन एवं शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव,वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या–1126/XXVII(I)/2005
देहरादून, दिनांक 31 अगस्त, 2005

कार्यालय–ज्ञाप

कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आदि को भवन निर्माण/भवन क्रय/भवन मरम्मत/भवन विस्तार/मोटर वाहन क्रय/अन्य वाहनों के क्रय एवं कम्यूटर आदि क्रय करने के लिए जो अग्रिम स्वीकृत किये जाते हैं, उनके मूलधन के प्रतिदान की किश्तों एवं ब्याज की वसूली की अधिक कटौती हो जाती है, जिसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं रहता है।

ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग से यह परामर्श मांगा जाता है कि कर्मचारी से मूलधन अथवा ब्याज के रूप में अधिक वसूल की गई धनराशि की वापसी कर्मचारी को किस प्रकार की जाये।

सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि सम्बन्धित कर्मचारी से मूलधन की कटौती की किश्तों के रूप में अधिक वसूली हो गई अथवा ब्याज की किश्तों के रूप में अधिक धनराशि वसूल ली गयी है तो बाद में इस तथ्य के प्रकाश में आने पर महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा वर्ग "घ" के प्रकारण में सम्बन्धित संवितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मूलधन एवं ब्याज की वसूली की पुष्टि होने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक वसूली गई धनराशि की वापसी संगत अनुदान एवं संगत मुख्य लेखा शीर्षक/उपमुख्य लेखा शीर्षक/लघु शीर्षक/उप शीर्षक/ब्यौरेवार शीर्षक के अधीन, मानक मद "42–अन्य व्यय" से की जाय।

शासनादेश संख्या–2913/वि0सं0शा0/2005, दिनांक 26 मई, 2001 के अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण निदेशक, लेखा एवं हकदारी, देहरादून के अधीन किया गया है, तथा इस प्रकार की वापसी हेतु निदेशालय के बजट में मानक मद "42–अन्य व्यय" में पर्याप्त प्राविधान किया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों से अधिक मूलधन एवं ब्याज की वसूली की वापसी उक्त निदेशालय द्वारा महालेखाकार अथवा वर्ग "घ" के प्रकरण में सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद अधिक भुगतान की वापसी मानक मद "42–अन्य व्यय" से की जा सके।

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या– 1126(1)/XXVII(4)/2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संवितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तरांचल, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. महालेखाकार, उत्तरांचल।
7. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से

टी.एन. सिंह
अपर सचिव, वित्त।